[illegible] अधिकारी [illegible], [illegible], रायपुर ।

पत्र क्रमांक 15 /12-13 अर्जित [illegible] 1453 हेक्टेयर [illegible] एम0डी0

ग्राम – [illegible]

अंतर्गत [illegible] [illegible]

[illegible]

प्रस्तुत [illegible] ग्राम [illegible] जिला रायपुर के [illegible] के अधिकार पर प्रकाशित हुआ जिससे [illegible] है कि [illegible] ग्राम [illegible] में [illegible] 88 [illegible] [illegible] 1.276 हे0 [illegible] 54.00 [illegible] ग्राम [illegible] जिला रायपुर की [illegible] 82 [illegible] 0.565 हे0 [illegible] 14.50 [illegible] [illegible] रायपुर के [illegible] ग्राम [illegible] जिला रायपुर की [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ग्राम सरकार की गाटा संख्या 214 रकबा 1.376 हे0 के अधिक भाग 0.575 हे0 में कब्जा पर काबिज का मालिक बना होने तथा गाटा संख्या रकबा 0.701 हे0 के कोलोनी होने की आशंका [illegible] की जाती है। [illegible] गाटा संख्या [illegible] रकबा 0.825 हे0 में कब्जा पर कोलोनी होने के संबंध में अवगत कराया गया है। उपरोक्त खसरा अधिकांश तालाब में भरा हुआ है। तहसीलदार के आख्या के अनुसार [illegible] कालोनी ग्राम खानी 1415 से 1420 की मान संख्या पर रकबा 0.665 हे0 पर भूमि आवंटी की गयी है। गाटा के रिकार्ड अभिलेखों पर आने वाले ग्राम सरकार की गाटा संख्या 214 रकबा 1.376 हे0 में से 0.42 0.575 हे0 में कब्जा पर काबिज बना होने के कारण अधिकांश अधिकार खेत वाले का निलंबन किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार टांडा की आख्या के परिप्रेक्ष्य में ग्राम सरकार की गाटा संख्या 214 रकबा 1.376 हे0 के अधिकांश भाग 0.575 हे0 पर कब्जा पर काबिज बना होने के कारण अधिकांश अधिकार निलंबन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार [illegible] के आख्या पर आदेश [illegible] कि ग्राम सरकार तहसील टांडा की गाटा संख्या 214 रकबा 1.376 हे0 के अधिकांश भाग रकबा 0.575 हे0 का अधिकांश अधिकार निलंबन किया जाता है। उक्त वह गाटा संख्या / रकबा को खाता से [illegible] हटाया जाता है जबकि अन्य का अंकित रहेगा। तदनुसार कार्यवाही की जाय। आदेश की एक प्रति तहसीलदार टांडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित पाये। साथ आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(रमेश चन्द्र शुक्ला)
उपजिलाधिकारी टांडा।

उक्त आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक 1-4-09

(रमेश चन्द्र शुक्ला)
उपजिलाधिकारी टांडा।